राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28( )पराविं/प्रशा.2/पं.प्र.अ./स्था.पद/2019/ 601 जयपुर, दिनांक: 19/05/20

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक 2266 दिनांक 04.07.2019 द्वारा श्री भागीरथ प्रसाद मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी) को जिला परिषद चुरू से आदेशों की प्रतिक्षारत किया जाकर इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया गया। जिसकी पालना में श्री मीणा ने दिनांक 15.07.2019 को विभाग में उपस्थिति दी, जिनका पदस्थापन आदेश क्रमांक 363 दिनांक 25.02.2020 द्वारा पंचायत समिति सरदारशहर (चुरू) किया गया। इस दौरान ये दिनांक 15.01.2020 से दिनांक 20.01.2020 तक मेडिकल अवकाश पर रहे हैं।

इस संबंध में श्री भागीरथ प्रसाद मीणा, पंचायत प्रसार अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी), पंचायत समिति सरदारशहर (चुरू) की दिनांक 15.07.2019 से दिनांक 25.02.2020 तक की ए.पी.ओ. अवधि को नियमित किया जाकर उक्त अवधि के वेतन में से आदेश क्रमांक 4428 दिनांक 10.12.2019 की पालना में आहरित किये जा चुके वेतन को छोड़कर, शेष अवधि का वेतन चुरू जिले में कहीं भी उक्त अवधि में रिक्त रहे पंचायत प्रसार अधिकारी के पद के विरूद्व आहरित करने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चुरू।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सरदारशहर (चुरू) को इनके मेडिकल संबंधी दस्तावेज मूल ही संलग्न कर भिजवाते हुये लेख है कि इनका दिनांक 15.01.20 से दिनांक 20.01.20 तक का मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जाकर उसका इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में किये जाने के उपरांत बकाया वेतन आहरित किये जाने संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी (सहायक विकास अधिकारी)।
5. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

D:\SSR\Ext.Officers\2018\Order Ext_officer 2018.doc

Scanned by CamScanner